

Roll No. ....

Total Pages : 05

**BCQ/M-20**  
**INCOME TAX-II**  
**BC-604**

**12349**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

**Note :** Attempt *Five* questions in all. Q. No. 1 comprising of five short answer type questions carrying 4 marks each is compulsory. Attempt any *four* questions from remaining eight questions. All questions except Q. No. 1 carry 15 marks each.

कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न संख्या 1 में 4 अंकों के पाँच लघु प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक अनिवार्य है । शेष आठ प्रश्नों में से किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न संख्या 1 को छोड़कर सभी प्रश्नों में प्रत्येक के 15 अंक हैं ।

**Compulsory Question ( अनिवार्य प्रश्न )**

- |        |                          |   |
|--------|--------------------------|---|
| 1. (a) | Rebate under Section 87A | 4 |
|        | धारा 87A के तहत छूट      |   |
| (b)    | PAN                      | 4 |
|        | पैन                      |   |
| (c)    | Refund of Tax            | 4 |
|        | टैक्स का रिफंड           |   |

(2)L-12349

1

- (d) Partner's Remuneration limit under Section 40(b)4  
धारा 40(बी) के तहत भागीदार की पारिश्रमिक सीमा
- (e) Provisions of Section 80D  
धारा 80डी के प्रावधान

2. What do you mean by "Pay as you earn Scheme" ?  
Explain the provision of Income Tax regarding it. **15**  
"जैसे कमाओ वैसे कर चुकाओ योजना" से आप क्या समझते हैं ?  
इसके बारे में आयकर के प्रावधान की व्याख्या कीजिए ।
3. What do you mean by appeal ? Describe the procedure to  
filing appeal to Commissioner (Appeals). **15**  
अपील से आपका क्या अभिप्राय है ? आयुक्त (अपील) को अपील  
दायर करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए ।
4. Explain the powers of Income Tax Authorities. **15**  
आयकर अधिकारियों की शक्तियों की व्याख्या कीजिए ।
5. What do you mean by recovery of Tax ? Explain different  
modes of recovery of Income Tax. **15**  
टैक्स की वसूली से आपका क्या अर्थ है ? आयकर की वसूली के  
विभिन्न तरीकों के बारे में बताइए ।
6. Discuss the provision of Income Tax Act regarding  
Penalties. **15**  
पेनल्टी के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधान पर चर्चा  
कीजिए ।

7. Explain the following : **15**

(a) Provisions of Section 80 C

(b) Provisions of Section 80 G

निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए :

(अ) धारा 80 C के प्रावधान

(ब) धारा 80 G के प्रावधान ।

8. An individual (aged 85 years) has the following sources income for the assessment year 2019-20 :

	Rs.
(i) Gross Income from Salary (Pension)	1,20,000
(ii) Income from House Property (Computed)	34,000
(iii) Income from Business	5,14,000
(iv) Interest on Deposit in Bank	48,000

He has paid Life Insurance Premium of Rs. 8,000 and donated a sum of Rs. 5,000 to an approved Charitable Institution by Cheque.

Calculate the gross tax liability of the assessee for the Assessment Year 2019-2020. **15**

एक व्यक्ति (85 वर्ष आयु) का कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निम्न स्रोत आय है :

	रु.
(i) वेतन (पेंशन) से सकल आय	1,20,000
(ii) हाउस प्रॉपर्टी से आय (कम्प्यूटेड)	34,000
(iii) व्यवसाय से आय	5,14,000
(iv) बैंक में जमा पर ब्याज	48,000

(2)L-12349

उन्होंने जीवन बीमा प्रीमियम 8,000 रु. का भुगतान किया है और दान राशि 5,000 रु. अनुमोदित धर्मार्थ संस्थान को चेक द्वारा भुगतान किया है ।

आकलन वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्ति की सकल कर देयता की गणना कीजिए ।

9. A, B and C are the partners of the firm. They share profit or losses in the ratio 5 : 3 : 2. The following particulars of the firm for the year ended 31-3-2019 are furnished :
- (i) The net profit as per P & L A/c was Rs. 44,000.
  - (ii) Salaries of Rs. 12,000 paid to B and Commission on Sales Rs. 6,000 paid to C were debited in the accounts.
  - (iii) Interest on Capital @ 20% paid Rs. 5,000, Rs. 4,000 and Rs. 3,000 to A, B and C respectively.
  - (iv) Interest of Rs. 8,000 paid to A on his loan @ 20%.
  - (v) Depreciation debited to accounts amounted to Rs. 10,000 but the admissible amount was Rs. 14,000.
  - (vi) The closing stock and opening stock of Rs. 8,00,000 and Rs. 9,00,000 respectively had both been valued at 10% undercost, though the market price in each case was higher than the actual cost.

Compute the taxable income of the firm for Assessment year 2019-20. The firm fulfills the conditions of Section 184. 15

A, B और C फर्म के भागीदार हैं। वे 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ या हानि साझा करते हैं। 31-3-2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म के निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत हैं :

- (i) लाभ-हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ 44,000 रु. था।
- (ii) B को 12,000 रु. का वेतन भुगतान और C को बिक्री पर कमीशन 6,000 रु. भुगतान किए गए, खातों में डेबिट किए गए थे।
- (iii) पूँजी पर ब्याज @ 20% 5,000 रु., 4,000 रु. और 3,000 रु. क्रमशः A, B और C को भुगतान किया गया।
- (iv) A को 20% 8,000 रु. का ब्याज अपने ऋण पर भुगतान किया गया।
- (v) मूल्य हास खातों में 10,000 रु. लेकिन स्वीकार्य राशि 14,000 रु. थी।
- (vi) प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया 8,00,000 रु. और 9,00,000 रु. क्रमशः 10% पर कम मूल्यांकित किए गए थे, हालांकि प्रत्येक मामले में बाजार की कीमत वास्तविक लागत से अधिक थी।

आकलन वर्ष 2019-20 के लिए फर्म की कर-योग्य आय की गणना कीजिए। फर्म धारा 184 की शर्तों को पूरा करती है।